न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)
पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया –

मायादेवी धर्मपत्नि रामेश्वर लाल जाति जाट उम्र करीबन 41 वर्ष निवासी ग्राम पीपराली तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बिरमाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट उम्र करीबन 43 वर्ष निवासी पीपराली तहसील नावां।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादीया
मुकदमा नम्बरः 142/2023 निर्णय दिनांक :– 16.10.2023

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम पीपराली तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.8900 हैक्टर किस्म चाही जाव द्वितीय, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5700 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कुआं कुल रकबा 5.4900 हैक्टर भूमि मे हिस्सा 3/4 में प्रतिवादी संख्या 1 बिरमाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी पीपराली से उनके हिस्से की भूमि में से 0.1600 हैक्टर भूमि वादीनी मायादेवी ने जरिये रजिस्टर्ड वैचाननामा क्रम संख्या 2009000199 दिनांक 02.02.2009 को वील एवज रुपये 17000 / – अक्षरे सतराह हजार रुपये में खरीद कर मौके पर वादीनी 0.1600 हैक्टर भूमि पर निर्विवाद रूप से आज दिन तक काबिज कृषक चली आ रही है। नकल खतौनी व नकल वैचाननामा वादपत्र के साथ पेश किये। वादीनी अनपढ जो केवल मात्र अपने हस्ताक्षर करना जानती है, ने प्रतिवादी संख्या 1 से 0.1600 हैक्टर भूमि खरीद कर उसका वैचाननामा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजिबद्ध करवाकर वादीनी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का को बैचाननामा की नकल दे दी थी। पटवारी हल्का ने वादीनी के मुताबिक बैचाननामा 0.1600 हैक्टर भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का आश्वासन दिया था। परन्तु तात्कालीन पटवारी हल्का ने वादीनी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं की। वादीनी तात्कालीन पटवारी हल्का के आश्वासन में आने से घर पर बैठी रही। हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीनी को राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं होने से भूमि से बेदलख करने की धमकी दी। तब वादीनी ने हाल पटवारी हल्का से राजस्व रेकार्ड की जानकारी लेने पर वादीनी के नाम राजस्व रेकार्ड में बैचाननामा के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं होने की जानकारी दी। हाल पटवारी हल्का को राजस्व रेकार्ड मे उक्त बैचाननामा के आधार पर वादीनी के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु कहा तो पटवारी ने हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 516 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कुआं का खसरा नम्बर का खाता अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:06:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

होने से कुल रकबा 5.4900 हैक्टर के बजाय 5.4600 हैक्टर दर्ज होने से बैचाननामा के आधार पर खातेदारी दर्ज करने से मना कर दिया जबकि वादीनी ने उपरोक्त खाते में से प्रतिवादी के हिस्से की भूमि मे से 0.1600 हैक्टर भूमि खरीद की थी। जिस पर वादीनी आज दिन तक भौतिक रूप से काबिज कृषक चली आ रही है। उपरोक्त खाते मे से खसरा नम्बर 516 रकबा 0.0300 हैक्टर का खाता अलग होने से अब शेष खसरा नम्बर 310 रकबा 3.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5700 हैक्टर कुल रकबा 5.4600 हैक्टर मे प्रतिवादी बिरमा राम पुत्र गंगाराम जाति जाट का हिस्सा 223/5460 बराबर 0.2230 हैक्टर भूमि दर्ज है। जिसमे से वादीनी के नाम 0.1600 हैक्टर अर्थात हिस्सा 16/546 भूमि खातेदारी मे दर्ज करवाने की वादीनी कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकार्ड में वादीनी के नाम खातेदारी बैचाननामा के आधार पर दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे फितुर पैदा हो गया। तथा वादीनी अनपढ एंव भोली भाली कृषक है जिसको अकारण परेशान कर भूमि से वादीनी को बेदखल करने पर आमदा है अगर प्रतिवादी संख्या 1 वादीनी को भूमि से बेदखल व भूमि को रहन रखने व भूमि को बचान करने मे सफल हो गया तो वादीनी अपने जायज हक हकूकों की भूमि से सदा के लिए महरूम हो जायेगी। प्रतिवादी संख्या 1 से वादीनी ने विधि के अनुसार ज़रिये रजिस्टर्ड बैचाननामा भूमि खरीद कर वादीनी 0.1600 हैक्टर भूमि पर विधि के अनुसार काबिज कृषक चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादीनी के कब्जे काश्त की 0.1600 हैक्टर भूमि से वादीनी को बेदखल करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। वादीनी राजस्व ग्राम पीपराली के खसरा नम्बर 310, 329 कुल रकबा 5.4600 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हिस्सा 223/5460 की भूमि मे से 0.1600 हैक्टर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की कानून अधिकारी है। वादी ने खसरा नम्बर 516 रकबा 0.0300 हैक्टर में से हिस्सा नहीं खरीदा था। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार से वादीनी के द्वारा भूमि खरीद करने व उनके द्वारा वादीनी को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर, प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से बाद मे आवश्यक एंव फोरमल पक्षकार बनाये गये है। राजस्व ग्राम पीपराली तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5700 हैक्टर कुल रकबा 5.46 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 223/5460 की भूमि में से 0.16 हैक्टर हिस्सा 16/546 की भूमि की वादीनी काबिज कृषक है जिसकी खातेदारी अधिकारो की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर राजस्व रेकार्ड में मुताबिक डिक्री वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार नांवा को प्रदान करने एवं वादी की कब्जे काश्त की 0.1600 हैक्टर भूमि में न तो प्रतिवादीगण 1 स्वंय दखल करे न ही अपने ऐजेन्टो से करावे, स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के तामील सुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल चालू जमाबंदी प्रदर्श 1, नकल बैचाननामा दिनांक 02.02.2009 प्रदर्श 2 पेश किये। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया मायादेवी, पी.डब्ल्यू. 2 मूलचन्द, पी.डब्ल्यू. 3 भंवरलाल के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पेश किये। साक्ष्य वादी में ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी को बंद की गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादीया ने जाहिर किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 223/5460 गलत अंकन हो गया था उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 का 101/1820 हिस्सा पढ़ा जावें।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम पीपराली तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.8900 हैक्टर किस्म चाही जाव द्वितीय, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5700 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कुआं कुल रकबा 5.4900 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बिरमाराम ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से 0.1600 हैक्टर भूमि वादीया मायादेवी को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 02.02.2009 को बैचान की गई। वादीया की उक्त खरीद शुदा भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हो सका। तत्पश्चात जमाबन्दी में खसरा नम्बर 516 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कुआं के खसरा नम्बर का खाता अलग होने से उक्त भूमि का कुल रकबा 5.4900 हैक्टर के बजाय 5.4600 हैक्टर दर्ज हो गया। वर्तमान चालू जमाबंदी में खसरा नम्बर 310 रकबा 3.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5700 हैक्टर कुल रकबा 5.46 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 101/1820 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार खसरा नम्बर 310, 329 कुल रकबा 5.46 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बिरमाराम के नाम दर्ज 101/1820 हिस्सा में से 0.16 हैक्टर भूमि का वादीया मायादेवी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपराली तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5700 हैक्टर कुल रकबा 5.46 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बिरमाराम के नाम दर्ज 101/1820 हिस्सा भूमि में से 0.16 हैक्टर भूमि का वादीया मायादेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:10 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.

अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया —

मायादेवी धर्मपत्नि रामेश्वर लाल जाति जाट उम्र करीबन 41 वर्ष निवासी ग्राम पीपराली तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. बिरमाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट उम्र करीबन 43 वर्ष निवासी पीपराली तहसील नावां।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

मुकदमां नम्बर :— 142/2023 निर्णय दिनांक :— 16.10.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादीया को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपराली तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5700 हैक्टर कुल रकबा 5.46 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बिरमाराम के नाम दर्ज 101/1820 हिस्सा भूमि में से 0.16 हैक्टर भूमि का वादीया मायादेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:10 IST
Reason: SelfAttested